न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर निग0 1371-प्र/90

प्रकरण क्रमांक /९० निगरानी

१- लज्जाराम सिंह पुत्र श्री हरीसिंह

२- विजय राम सिंह पुत्र हरीसिंह ,

निवासीगण ग्राम राजपुर मजरा गुहीसर

तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-- -- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१- प्रेमाबाई जो अपने आप को कांकसिंह

की पत्नी कहती है। निवासी ग्राम राज

पुर मजरा गुहीसर निवासी ग्राम तहसील

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 --अनुप्रतिप्रार्थी

२- कानसिंह पुत्र हरीसिंह

३- हरीसिंह पुत्र काशीराम , समस्त

निवासीगण ग्राम राजपुर मजरा गुहीसर

तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-- -- तरतीबी प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध निर्णय अनुविभागीय अधिकारी महो0

गोहद जिला भिण्ड दिनांक २५-७-९० प्र0 क्र0 ५।८८

अपील निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म0प्र0 भू-राजस्व

संहिता १९५९ ।

20.8.90

श्रीमान जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों

अनुविभागीय अधिकारी महोदय, का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 137–दो/90 जिला–भिण्ड

क्रमांक दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-8-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद, जिला–भिण्ड के प्र0क्र0 5/89–90/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 25.07.90 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुहीसर की प्रश्नाधीन भूमि पर हरीसिंह का नाम खातेदार के रूप में अंकित था । हरीसिंह के चार पुत्र थे, करन सिंह, लज्जाराम, विजय राम एवं लोकसिंह जिसकी बेवा प्रेमाबाई है । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण ने नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 23.09.89 को आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 23.09.89 के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 प्रेमाबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुये आलोच्य आदेश निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के	

साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदक क्र0 1 को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाये तथा प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा–यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि अनावेदक क्र0 1 को प्रारंभिक न्यायालय में पक्षकार माना ही नहीं है । उसने अपील करने की कोई अनुमति ही प्राप्त की थी। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अभिलिखित भूमि स्वामी हरीसिंह है जिसके स्थान पर प्रारंभिक न्यायालय में नामांतरण का आदेश किया गया था, जो प्रकरण के एक आवश्यक पक्षकार थे, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया । अपील में आवश्यक पक्षकार के अभियोजन का दोष होने के कारण अपील निरस्त योग्य है । तर्क में उन्होंने यह भी बताया है कि जब तक दीवानी न्यायालय का निर्णय स्थिर है तब तक प्रार्थीगण के स्वत्वों से इन्कार नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित । अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि

प्रकरण में विधिनुसार इश्तहार जारी किया गया एवं दैनिक समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से अनावेदकगण को सूचना दी गई। अनावेदकगण को प्रकरण में उपस्थित होने हेतु दिनांक 29.06.89 नियत किया गया, किन्तु अनावेदकगण उक्त तिथि में अनुपस्थित रहे । जिससे इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किये जाने में कोई भूल नहीं की है । अतः प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण किया जावे ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य